संख्या-335/2021/904रासनि/23-1-21-56रासनि/20टीसी2

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 08 दिसम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 15 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु लैप्स धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के संलग्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 15 मार्गों के स्वीकृत कार्य हेतु लैप्स धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 5,13,41,000/- (रूपये पांच करोड़ तेरह लाख इकतालीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रायोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05-राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-05 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण (8225)-29-अनुरक्षण" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-335/2021/904रासनि(1)/23-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. नोडल अधिकारी(आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-335/2021/904रासनि/23-1-21-56रासनि/20टीसी2, दिनांक 08.12.2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता(मु0–1), लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	मूल स्वीकृति का संदर्भ	स्वीकृत लागत	वर्ष 2019–20 / 2020–21 में कुल आवंटन / लैप्स धनराशि	लैप्स धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	681सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 10.08.21	लखनऊ	सीतापुर मार्ग(एन0एच-24) के कि0मी0 490 से 492 के मध्य जल निकासी हेतु नाली का विशेष मरम्मत का कार्य।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	67.66	23.68	13.53	13.53
2	681सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 10.08.21	लखनऊ	महानगर सचिवालय कालोनी के आन्तरिक मार्गों के फुटपाथ पर इन्टरलॉकिंग टाइल्स के उच्चीकरण हेतु विशेष मरम्मत का कार्य।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	49.92.	31.98	22.00	22.00
3	681सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 10.08.21	लखनऊ	डालीगंज क्रासिंग से पुरनिया क्रासिंग मार्ग पर स्थित पुरनिया आर0ओ0बी0 पर माइक्रोसरफेसिंग का कार्य।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	59.70	46.70	34.76	34.76
4	682सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 10.08.21	इटावा	भरथना-बकेवर-लखना-लखना-सिण्डौस मार्ग।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	276.04	262.24	41.41	41.41
5	740सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 11.08.21	उन्नाव	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत मंगतखेड़ा कांथा सोहरामऊ मार्ग के कि0मी0-1 से 19(600) का विशेष मरम्मत का कार्य।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	498.93	417.81	18.71	18.71
6	740सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 11.08.21	उन्नाव	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत गंगा पाण्डु नदी पहुंच मार्ग।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	271.36	64.41	64.41	64.41
7	675सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 10.08.21	बाराबंकी	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत असैनी मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0-1 का सतह सुधार का कार्य।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	291.86	222.91	20.41	20.41
8	674सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 10.08.21	मुजफ्फर नगर	दिल्ली नीतिपास मार्ग(मुजफ्फरनगर शहरी प्रभाग) के आबादी भाग में सी0सी0 मरम्मत का कार्य।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	122.39	106.37	45.08	45.08
9	674सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 10.08.21	मुजफ्फर नगर	खतौली मोरना मार्ग।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	430.88	261.63	46.19	46.19
10	674सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/2021-22, दि0 10.08.21	मुजफ्फर नगर	पुकरकाजी बाईपास के सापेक्ष पुरकाजी कस्बे में एन0एच0 58 का भाग।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	257.55	156.39	27.61	27.61

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र.	मुख्य अभियंता(मु0–1), लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद	कार्य का नाम	मूल स्वीकृति का संदर्भ	स्वीकृत लागत	वर्ष 2019–20 / 2020–21 में कुल आवंटन/ लैप्स धनराशि	लैप्स धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	674सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/ 2021-22, दि0 10.08.21	मुजफ्फर नगर	खतौली मीरापुर मार्ग।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	235.49	142.99	25.24	25.24
12	683सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/ 2021-22, दि0 10.08.21	मुजफ्फर नगर	सरवट फाटक से नसीरपुर होते एवं रथेड़ी तक मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	133.39	51.29	51.29	51.29
13	680सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/ 2021-22, दि0 10.08.21	गौतमबुद्ध नगर	हामिदपुर-सिकन्द्राबाद-कुचेसर मार्ग(एस0एच0-100)	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	370.09	83.27	25.27	25.27
14	680सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/ 2021-22, दि0 10.08.21	गौतमबुद्ध नगर	झाझर रबुपुरा मेंहदीपुर भोले का मंदिर-मेंहदीपुर खादर(चंडीगढ़) मार्ग।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	252.70	97.0	50.00	50.00
15	680सी/205सी/3054-अप्राप्त साख सीमा/ 2021-22, दि0 10.08.21	गौतमबुद्ध नगर	आई0आर0क्यू0पी0 के अन्तर्गत जारचा से उॅच अमीरपुर (एन0टी0पी0सी0) वाया खंगोडा मार्ग का सुधार का कार्य।	135/2021/631रासनि/23-1-21-47रासनि/20 दि0 31.03.2021	134.56	40.96	27.50	27.50
	योग							513.41

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।